कार्यालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 30/2023 (GCMS 2023/120)
(आईटीआई पोर्टल नं. 212543496904459)

सुच्चा सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह, निवासी वार्ड संख्या 1, साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.11.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलाथी सुच्चा सिंह स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुच्चा सिंह ने तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 17.02.2023 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुच्चा सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2023 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> आपके अधिकार क्षेत्र वार्ड संख्या 1, 2 डी छोटी, साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर में बिजली घर के [illegible]त मु.न. 26 के किला नं. 15 में आबादी रकबा कितना है उसका [illegible] सीमाज्ञान का विस्तृत ब्यौरा मय रिपोर्ट सहित सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध करवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:22 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सू.अ. /2023/आरटीआई/5315 दिनांक 27.10.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2023 में चक 1 डी छोटी साधुवाली बिजली घर के पास स्थिति मु.नं. 26 कि.नं. 15 में आबादी रकबा कितना है, इसका सम्पूर्ण सीमाज्ञान का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया था। उक्त सूचना ग्राम पंचायत, साधुवाली से संबंधित होने की वजह से प्रार्थी का मूल प्रा.पत्र इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1069 दिनांक 20.02.2023 को भिजवाते हुए, प्रार्थी को पत्र क्रमांक 1070 दिनांक 28.02.2023 संबंधित कार्यालय से नकल प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया था। पत्र की छाया प्रतियां संलग्न है। अतः श्रीमान्जी से नम्र निवेदन है कि उक्त अपील को खारिज फरमाये जाने का कष्ट करें।
>
> भवदीय
>
> -sd-
>
> तहसीलदार (भू.अ.)
>
> श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार प्रेषित किया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी का मूल पत्र उनके द्वारा ग्राम पंचायत, साधुवाली को हस्तांतरित किया है तथा अपने पत्रांक 1070 दिनांक 28.02.2023 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया **है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत, साधुवाली**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:22 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता **अधिकृत नहीं है।** इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि ग्राम पंचायत, साधुवाली के जवाब से असंतुष्ट हो तो, ग्राम पंचायत, साधुवाली के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:22 IST
Reason: SelfAttested